

कार्यालय अस्पताल अधीक्षक,

चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय,
कचान्दुर, दुर्ग (छ.ग) ई-मेल :- ccmgmchdurg@gmail.com

क्रमांक/रखरखाव/CCMGMCH/2023/ 2924

दुर्ग, दिनांक/ 27/12/23

// रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्ताव आमंत्रण - सूचना //

विषय:- चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय, दुर्ग में स्थापित ए0सी0 (Air Conditioner) के रख-रखाव बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि, चिकित्सालय के विभिन्न विभागों में स्थापित ए0सी0 (Air Conditioner) हेतु (प्रस्ताव 01 एवं 02) ए.एम.सी./मरम्मत प्राक्कलन "जहाँ है जैसा है" के शर्त पर किया जाना है। ए0सी0 (Air Conditioner) का विवरण निम्नानुसार है:-

ए0सी0 (Air Conditioner) का वार्षिक रखरखाव अनुबंध (ए.एम.सी.) - (प्रस्ताव-01)

क्र.	कंपनी का नाम	क्षमता	ए.सी. की संख्या
1	Voltas	1 टन क्षमता	1
2	Voltas	1.5 टन क्षमता	30
3	Voltas	2 टन क्षमता	21
4	Voltas	5.5 टन क्षमता	2
5	Voltas	8 टन क्षमता	3
6	Panasonic	1 टन क्षमता	3
7	Panasonic	1.5 टन क्षमता	3
8	Panasonic	2 टन क्षमता	5
9	Carrier	2 टन क्षमता	1
10	Hitachi	1 टन क्षमता	2
कुल			71

ए0सी0 (Air Conditioner) के मरम्मत प्राक्कलन - (प्रस्ताव-02)

क्र.	कंपनी का नाम	क्षमता	ए.सी. की संख्या
1	Voltas	1 टन क्षमता	1
2	Voltas	1.5 टन क्षमता	30
3	Voltas	2 टन क्षमता	21
4	Voltas	5.5 टन क्षमता	2
5	Voltas	8 टन क्षमता	3
6	Panasonic	1 टन क्षमता	3
7	Panasonic	1.5 टन क्षमता	3
8	Panasonic	2 टन क्षमता	5
9	Carrier	2 टन क्षमता	1
10	Hitachi	1 टन क्षमता	2
कुल			71

उक्त कार्य हेतु निर्माता, अधिकृत अथवा अनुभवी फर्म, मशीन के व्यापक निरीक्षण उपरान्त उपरोक्तानुसार कोई भी एक प्रस्ताव / दोनों प्रस्ताव दर, प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित की जाती है। विस्तृत अवलोकन हेतु महाविद्यालय की वेब-साईट (www.ccmgmcdurg.ac.in) तथा सूचना पटल से जानकारी प्राप्त कर, मोहर बंद लिफाफे में दिनांक 18 जनवरी 2024 शाम 05:00 बजे तक कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

27.12.23
अस्पताल अधीक्षक
चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शा0चि0महा0
सम्बद्ध चिकित्सालय, दुर्ग

कार्यालय अस्पताल अधीक्षक,
चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय,
कचान्दुर, दुर्ग (छ.ग) ई-मेल :- ccmgmchdurg@gmail.com

क्रमांक/रखरखाव/CCMGMCH/2023/2924

दुर्ग, दिनांक/27/12/23

// रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्ताव प्रारूप तथा नियम शर्तें //

ए0सी0 (Air Conditioner) का वार्षिक रखरखाव अनुबंध (ए.एम.सी.) – (प्रस्ताव-01)

क्र.	कंपनी का नाम	क्षमता	ए.सी. की संख्या
1	Voltas	1 टन क्षमता	1
2	Voltas	1.5 टन क्षमता	30
3	Voltas	2 टन क्षमता	21
4	Voltas	5.5 टन क्षमता	2
5	Voltas	8 टन क्षमता	3
6	Panasonic	1 टन क्षमता	3
7	Panasonic	1.5 टन क्षमता	3
8	Panasonic	2 टन क्षमता	5
9	Carrier	2 टन क्षमता	1
10	Hitachi	1 टन क्षमता	2
कुल			71

ए0सी0 (Air Conditioner) के मरम्मत प्राक्कलन (प्रतिमशीन) – (प्रस्ताव-02)

क्रं.	ए0सी0 (Air Conditioner) - Serial No. - / Tonnage -	संख्या	मूल्य	कर विवरण	कुल राशि
1	पार्ट्स के दर का विवरण प्रति नग				
2	सर्विस चार्ज				
3	ट्रान्सपोर्टेशन				

सी0टी0 स्कैन मशीन के वार्षिक ए.एम.सी./मरम्मत प्राक्कलन प्रस्तुत करने हेतु नियम एवं शर्तें :-

1. प्रस्ताव के प्राप्त दर की वैधता एक वर्ष तक रहेगी जिस हेतु 100/-रु. नॉन जूडिशियल स्टॉम्प पेपर में अनुबंध किया जायेगा। अनुबंध दिनांक से प्रस्ताव एक वर्ष के लिए मान्य होगी।
2. कोटेशन में दर के साथ जी.एस.टी. या कोई अन्य टैक्स हो तो स्पष्ट उल्लेख करें।
3. फर्म ध्यान दे कि, उक्त प्रस्ताव प्रारूप की सॉफ्ट कॉपी पेन ड्राईव सहित एवं हार्ड कॉपी में दिये गये प्रारूप में लिफाफे में संलग्न प्रस्तुत करें।
4. रखरखाव हेतु चिकित्सालय में भौतिक निरीक्षण स्वयं कर दर प्रस्तुत करें। **“जहाँ है जैसा है” के शर्त पर रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित है।**
5. वार्षिक रखरखाव अनुबंध (ए.एम.सी.) का दर मशीनो की वर्तमान स्थिती को देखकर ही उल्लेखित करें।
6. मरम्मत प्राक्कलन प्रस्तुत करने हेतु मशीनो की वर्तमान स्थिती को देखकर ही उल्लेखित करें तथा प्रस्ताव में मशीन के सीरियल नम्बर तथा टनएज का स्पष्ट उल्लेख करें।
7. आपातकालीन स्थिति (दूरभाष) पर बुलाये जाने पर 24 घंटे के भीतर सर्विस देना अनिवार्य होगा।
8. रखरखाव का कार्य संतोष प्रद होने पर समान शर्तें एवं दरो पर वैधता बढ़ाई जा सकती है।
9. किसी भी प्रस्ताव को स्वीकृत अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधीक्षक, चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय, कचांदूर, दुर्ग छ.ग. को होगा, जिसका कारण बताने के लिये कार्यालय बाध्य नहीं है।
10. उक्त कार्य हेतु निर्माता/अधिकृत/अनुभवी फर्म अथवा सर्विस प्रोवाइडर उक्त प्रस्ताव में शामिल हो सकते हैं।

11. सेवा प्रदाय किये जाने के उपरांत सर्विस रिपोर्ट प्रदाय करनी होगी जो कि, विभागाध्यक्ष रेडियोलॉजी द्वारा सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
12. अनुशासित किये गये फर्म को आदेश जारी होने के उपरांत 30,000/- रु. सुरक्षा निधी के रूप में एफ.डी.आर. चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय, कचांदूर, दुर्ग छ.ग. के नाम से प्रस्तुत करना होगा।
13. ए0सी0 (Air Conditioner) का प्रस्ताव 01 एवं 02 का अनुबंध प्रदाय की गई सर्विस दर शामिल होगी। वार्षिक रखरखाव का भुगतान 06-06 माह की अवधि में किया जायेगा, प्रथम भुगतान वार्षिक रखरखाव के 06 माह पूर्ण करने के पश्चात् एवं अंतिम भुगतान 01 वर्ष सफलतापूर्वक सेवा प्रदाय किये जाने के पश्चात् किया जायेगा। यदि वार्षिक रखरखाव संतोषप्रद नहीं किये जाने की स्थिती में आदेश निरस्त कर एफ.डी.आर. की राशि राजसात किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
14. समस्त क्रय/रखरखाव कार्य की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 अथवा प्रचलित शासन के भंडार क्रय नियम/ शासकीय नियम के अनुसार शासित होंगे।
15. शर्तों के पालन नहीं किये जाने की स्थिति में या किसी भी विवाद की स्थिती आदेश निरस्त किया जा सकता है एवं नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है। न्यायालयीन प्रकरण केवल जिला न्यायालय, दुर्ग के अधिकार क्षेत्र में ही मान्य होंगे।
16. राज्य शासन या उसके किसी भी विभाग द्वारा किसी भी फर्म को काली सूची (ब्लैक लिस्टेड) में डाली जाने वाली फर्म मान्य नहीं होगी। उक्त संबंध में उन्हे शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त कार्य अत्याधिक मानक और बेहतर गुणवत्ता का होना चाहिए।
17. आपके द्वारा प्रदाय की गई समस्त जानकारी सत्य है एवं मुझे आपके सभी नियम एवं शर्तें मान्य है के संबंध में आपके एक नॉन जूडिशियल स्टॉम्प पेपर में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव मुहरबंद लिफाफे में जारी दिनांक से 15 दिवस के भीतर शाम 5:00 बजे तक जमा करने की व्यवस्था करें। विलंब से प्राप्त कोटेशन मान्य नहीं की जावेगी।

Jay 27.12.23
अस्पताल अधीक्षक
चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शा0चि0महा0
सम्बद्ध चिकित्सालय, दुर्ग